Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162–2019/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2019
(29 भाद्र, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 73/ह०अ०11/1994/धारा 209/2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 – हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2019 का प्रकाशन करने बारे।	633—647
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 2019

संख्या का०आ० 73/ह०अ०11/1994/धारा 209/2019.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उपधारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 52/ह0 अ0 11/1994/धा 209/2019, दिनांक 4 जुलाई, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"8 वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना–(1) उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तत्समय लागू, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विद्यमान निर्वाचक नामावली, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसी नाम के किसी संशोधन, विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के संबंधित वार्ड के अधीन पड़ते हैं, अधिसूचना द्वारा निर्वाचकों को वितरित करवाएगा।

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन निर्वाचक नामावली ध्यान में रखी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचकों को इस प्रकार वार्ड वार वितरित की गई निर्वाचक नामावली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी में देवनागरी लिपि और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं तथा ऐसे प्ररूप, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, में तैयार की जाएगी।

(3) ज्योंहि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उसे नोटिस के साथ–साथ प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाया जाएगा और नोटिस में तिथि सूचित की जाएगी, जिसको वार्ड वार मतदाता सूची के संबंध में दावे तथा आक्षेप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते है। नोटिस सहित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की वार्ड वार सूची की प्रति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय तथा तहसील कार्यालय तथा खण्ड चुनाव कार्यालय, जिसके अधीन वह गांव हो, के नोटिस बोर्ड, और यदि मतदाता सूची किसी जिला परिषद् के वार्ड से संबंधित है, तो सम्बद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा प्रत्येक गांव, जिससे सूची संबंधित है, में एक या दो सहजदृश्य स्थान/(स्थानों) पर चिपकायेगा:

परन्तु दावे तथा आक्षेप दायर करने के लिए अवधि पांच दिन से कम नहीं होगी।

(4) (i) मतदाताओं को वार्ड वार वितरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आक्षेप, विहित प्ररूप 1क या 1ख में जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा तथा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है:

परन्तु प्ररूप 1क में उन आवेदकों द्वारा दावे दायर किए जा सकते हैं, जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, इसकी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने के इच्छुक हों। प्ररूप 1 ख में आक्षेप उन आवेदकों द्वारा दायर किये जा सकते हैं, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरुद्ध अपना आक्षेप दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हों:

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में हैं, किन्तु इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं हैं;

(ii) जिला निर्वाचक अधिकारी प्ररूप 1ङ में दावों के लिए रजिस्टर तथा प्ररूप 1च में आक्षेपों का रजिस्टर रखेगा और जब कभी इनके प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आक्षेप, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा;

(iii) उप–नियम 4 के खण्ड (i) के अधीन कोई दावा या आक्षेप, जो विहित अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है, या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है, जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा;

(iv) यदि कोई दावा या आक्षेप किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा जिला निर्वाचक अधिकारी तुरन्त उसी समय इसे समुचित जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा;

(v) जहां कोई दावा या आक्षेप उप–नियम (4) के खण्ड (iii) या (iv) के अधीन निपटाया नहीं जाता है तथा दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो जिला निर्वाचक अधिकारी प्राप्त हुए सभी दावों और आक्षेपों की सूची के साथ–साथ नोटिस तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा तथा ऐसे दावों और आक्षेपों की सुनवाई की तिथि तथा स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा तथा आक्षेप की प्रति उस व्यक्ति को तामील की जाएगी, जिसके संबंध में यह दिया है;

(vi) जिला निर्वाचक अधिकारी इस संबंध में प्राप्त किसी आवेदन पर या स्व–प्रेरणा से वह सन्तुष्ट हो जाता है कि मतदाताओं की प्रारूप सूची, प्रारूप सूची में किसी त्रुटि के कारण विधानसभा के निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग से भिन्न है, तो वह उक्त निर्वाचक नामावली में समरूपता लाने के लिए सूची को संशोधित करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए उस सूची की किसी प्रविष्टि में संशोधन कर सकता है, का लोप कर सकता है या को जोड़ सकता है;

(vii) उपरोक्त खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और स्थान पर, जिला निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित पक्षकारों या उसके प्राधिकृत एजेंटों को सुनने के बाद, दावे या आक्षेपों की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनेगा और दावों और आक्षेपों का विनिश्चिय करेगा तथा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी दावे को स्वीकार करने के लिए आक्षेप करता है, तो ऐसे किसी दावे और किसी साक्ष्य, जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद वह–

(क) किसी दावे या आक्षेप, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालन नहीं करता है, को रद्द करेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे;

(ख) किसी मामले, जिसमें दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता उपस्थित नहीं होता है या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, को, खारिज करेगा;

(viii) जिला निर्वाचक अधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आक्षेप के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे। अपील में जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के अध्यधीन, अंतिम होगा।

(ix) जिला निर्वाचक अधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आक्षेपों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सहित, ऐसे दावों और आक्षेपों की सूची, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेगा, जो उप–नियम (4) के खण्ड (vii) और उप–नियम (4) के खण्ड (viii), जैसे भी स्थिति हो, के अधीन अपील में जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा या उस द्वारा, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाएगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां जिला निर्वाचक अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और उक्त आदेशों के अनुसार परिवर्धनों तथा संशोधनों की सूची उप–नियम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जाएगी। उप–नियम (4) के खण्ड (ix) के उपबंधों के अधीन संशोधित तथा प्रकाशित की गई मतदाताओं की कोई वार्ड वार सूची ऐसे प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 9, 9क, 10 तथा 10 क का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 11 में, "नियम 8 या नियम 10क का उप-नियम (1)" शब्दों, अंको तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "नियम 8 के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (4) के खण्ड (ix)" शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 12 में, –

(i) उप-नियम (3) में, "नियम 8 से 10क" शब्द, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "नियम 8" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) में, "नियम 8 से 10क" शब्द, अंको तथा अक्षरों के स्थान पर, "नियम 8" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, तथा

(iii) उप-नियम (5) में, "नियम 9" और "नियम 10 क" 'शब्दों तथा अंको के स्थान पर, क्रमशः "नियम 8 का उप-नियम (3)" और "नियम 8 का उप-नियम (4) के खण्ड (ix)" शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 12-क का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 12-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"12-ख. **अंतिम रूप में प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों को शामिल करना, विलोपन करना और संशोधन करना.**- कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वार्ड वार मतदाता सूची में अपने नाम में परिवर्धन/विलोपन/संशोधन हेतु उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकता है:

परन्तु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम में परिवर्धन, विलोपन या संशोधन केवल तभी किया जा सकता है, यदि दावाकर्ता, आवेदक का नाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग में विद्यमान है"।

8. उक्त नियमों में, नियम 12-ग का लोप कर दिया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 13 में, उपनियम (1) में,-

(i) खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) नियम 8 के उपनियम (4) के खण्ड (viii) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत सभी अपील;

(iii) खण्ड (ङ), में "नियम 12क या 12ख" शब्द और अंकों के स्थान पर, "नियम 12ख" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

10. उक्त-नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1क और 1ख, के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप–1क

{देखिए नियम 8 तथा 12ख}

मतदाता सूची में नाम शामिल करने, किसी प्रविष्टि का संशोधन करने या अन्य वार्ड में नाम को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी.....................................,
ग्राम पंचायत,..............वार्ड संख्या.........................,
खण्ड...............पंचायत समिति..............वार्ड संख्या ....
जिला परिषद्..............,वार्ड संख्या...........

या

उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)...............,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सें0मी0X 3.5 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान।

महोदय,
मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिए ....वार्ड संख्या............ के लिए सम्मिलित कर लिया जाए, संशोधन किया जाए या में स्थानान्तरित किया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित, संशोधन या स्थानान्तरण करने के लिए मेरे दावे के समर्थन में मेरे ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई है)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

I यह कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या ———— भाग संख्या ———— में वर्णित किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो ग्राम पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् की वार्ड संख्या ———— में शामिल किया जा सकता है।

II यह कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ———— की क्रम संख्या ———— भाग संख्या ———— का ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड संख्या ———— में गलती से ———— शामिल किया गया है जो ग्राम पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् की वार्ड संख्या ———— में शामिल किया जा सकता है।

III यह कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की मतदाता सूची में की गई प्रविष्टि अर्थात् ————को————के रूप में ———— इस आधार पर सही किया जाए कि————

IV यह कि विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरे ब्यौरे वर्णित किया जा चुके हैं, किन्तु ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला परिषद् की मतदाता सूची में———— के रूप में वर्णित है जिसे ———— के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है किया जाए।

V. घोषणाः
मैं,एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थानः–
तिथिः–

दावाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
आवेदक का पूरा पता————
मोबाईल संख्या ————

टिप्पणः कोई व्यक्ति, जो ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का 11) की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
जिला निर्वाचक अधिकारी या उपायुक्त--एवं--जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी... का नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि में संशोधन किये जाने या प्ररूप 1क में मतदाता सूची में अन्य वार्ड में उसके नाम को स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है/*अस्वीकार कर लिया गया है।

*स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः-- तिथिः--	जिला निर्वाचक अधिकारी या उपायुक्त --एवं--जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर	(जिला निर्वाचक अधिकारी या उपायुक्त --एवं-- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की मोहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् बूथ स्तरीय अधिकारी, पदाविहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

आवेदन की पावती

**श्री/श्रीमती/कुमारी...

**पता..

....

से प्ररूप 1क में आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या...................................में दर्ज किया गया है।

सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय ....

तिथि--------------------

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
(पता...
....

(कार्यालय उपयोग के लिए पावती)

दावे/आक्षेप की सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली गई है।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
आवेदक का पूरा पता-------------------------
मोबाईल संख्या0 ------------------------------------

तिथिः--

आवेदन की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बंधित सूचना
(आवेदक के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी..जो, गांव.. का निवासी है, से प्ररूप 1 क में आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान............................ में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक..........को . ...बजे की जायेगी। उसे आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ सुनवाई के लिये उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तिथि.............

जिला निर्वाचन अधिकारी या
उपायुक्त--एवं--जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
(पता...
....)

प्ररूप–1ख

[देखिए नियम 8]

मतदाता सूची में नाम को शामिल करने या हटाये जाने बारे आक्षेप हेतु आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
ग्राम पंचायत,..............वार्ड संख्या..........
पंचायत समिति ....वार्ड संख्या ....
जिला परिषद्..............वार्ड संख्या..........

या

उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)............,

महोदय,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान।

मैं, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं:–

मैं निवेदन करता हूँ कि /*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:–

I. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

II. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— का नाम ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की——— मतदाता सूची की वार्ड संख्या ———— की क्रम संख्या ———— पर वर्णित है, किन्तु यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की सीमा में नहीं आता है।

III. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— का नाम वार्ड संख्या ———— के बजाय वार्ड संख्या ———————— में शामिल किया गया है।

IV. घोषणा:

मैं, एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान:–

तिथि:–

आवेदक/आक्षेप कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
आवेदक का पूरा पता...
....
मोबाईल संख्या ....

टिप्पण:– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, (1994 का II) की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी या उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 1ख में मतदाता सूची में नान सम्मिलित किए जाने पर या नाम हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है /* अस्वीकार कर दिया गया है। स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान: तिथि:	जिला निर्वाचक अधधिकारी या उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर	जिला निर्वाचक अधधिकारी या (उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की मोहर)

'अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारी अथार्त बूथ स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

**श्री / श्रीमती / कुमारी...
**पता...
....
से प्ररूप 1ख में आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या....................................में दर्ज किया गया है।

सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय. ....

तिथि:.......................................

उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

(पता...
....)

(कार्यालय उपयोग के लिए पावती)

दावा / आक्षेप की सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तिथि ——————

आवेदक का पूरा पता——————————

मोबाईल संख्या ————————————

आवेदन पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बंधित सूचना

(आवेदक के लिए)

श्री / श्रीमती / कुमारी..जो, गांव.. का निवासी है, से प्ररूप 1 ख में आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान............................ में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक............... को ....बजे की जायेगी। उसे आवश्यक दस्तावेजों / जानकारी के साथ सुनवाई के लिये उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तिथि.............

जिला निर्वाचन अधिकारी या
उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की
ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर
(पता)..

....)"।

11. उक्त–नियमों में, प्ररूप 1ग और 1घ का लोप कर दिया जाएगा।

12. उक्त–नियमों में, प्ररूप 1ङ और 1च में, "[देखिए नियम 9क (5)]" शब्द, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर, "[देखिए नियम 8 (4)(ii)]" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 20th September, 2019

No. S.O. 73/H.A. 11/1994/S.209/2019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), and with reference to the Haryana Government, Development and Panchayats Department, Notification No. S.O. 52/H.A.11/94/S. 209/2019, dated the 4th July, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, namely:-.

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. **Preparation of ward wise list of voters.**- (1) The Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P) under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall by notification cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.

(2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise list of voters as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the list of voters for that ward of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad which shall be prepared in Hindi in Devnagri script and in such other language or languages and in such form as the State Election Commission may direct.

(3) As soon as the ward wise list of voters of a Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad is prepared, the same shall be published as draft together with a notice intimating the date by which claims and objections with regard to the ward wise list of voters may be presented to the District Electoral Officer specified therein. A copy of the ward wise list of voters of each ward of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad along with a notice shall be affixed at the office of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, and on the notice boards of the tehsil office and Block Election Office within which the village be and, if the list of voters pertains to a ward of Zila Parishad, on the notice board of the District Election Officer (Panchayat) concerned and at one or two conspicuous place(s) in each village to which the list pertains:

Provided that a period for filing claims and objections shall not be less than five days.

(4) (i) Every claim and objection regarding distribution of voters ward wise shall be addressed and presented to the District Electoral Officer in the prescribed Form 1A or 1B and may be sent by registered post:

Provided that claims in Form 1A may be filed by the applicant, who intends to include his name, make correction in its entry or transposing of his name in another ward in the list of voters. Objections in Form 1B may be filed by the applicant who intends to object inclusion of name or seek deletion of a name from the list of voters:

Provided further that only that person can file claim for inclusion of name in the list of voters of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft list of voters published under sub- rule (3) of this rule.

(ii) The District Electoral Officer shall maintain a register of claims in Form 1E and register of objections in form 1F, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.

(iii) Any claim or objection under sub-rule (4) (i), which is not filed within the prescribed period or, if filed, by a person not entitled to file the same, shall be rejected.

(iv) If any claim or objection is presented by a person to the District Electoral Officer who is not authorized to receive it, such District Electoral Officer shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate District Electoral Officer.

(v) Where a claim or objection is not disposed off under sub-rule (4) (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections has expired, the District Electoral Officer shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard and a copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.

(vi) The District Electoral Officer may, on an application received in this regard or on his own motion, if satisfied that the draft list of voters is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft list, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose may amend, delete or add an entry in that list.

(vii) On the date and at the place fixed under sub rule (v) above, the District Electoral Officer shall give hearing to the concerned persons and decide the claims and objections within three days from the date of receipt, after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in case any person objects to the admission of such a claim, after considering such a claim and considering such evidence, as may be produced or may appear necessary to him, he shall—

(a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders as he may deem fit;

(b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.

(viii) Any person aggrieved by any such order of the District Electoral Officer, may file appeal within three days from the date of order to the District Election Officer (P), who shall within three days either confirm such order, or set aside or pass such other order with respect to the claim or objection, as he may deem fit. The order of the District Electoral Officer subject to the decision of the District Election Officer (P) in an appeal shall be final.

(ix) As soon as the District Electoral Officer has disposed off all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections along with his orders thereon to the District Election Officer (P) who shall cause the ward wise list of voters to be corrected, in accordance with the orders passed by the District Electoral Officer or by him in an appeal under sub-rule (4) (vii) and sub rule (4) (viii), as the case may be. The list of voters so amended shall be final and two copies thereof duly signed by the District Electoral Officer and District Election Officer (Panchayat) shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub-rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders.

Any ward wise list of voters corrected and published under the provisions of sub-rule (4) (ix) shall come into force from the date of such publication.".

3. In the said rules, rule 9, 9A, 10 and 10A shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 11, for the words, sign, figure and bracket "rule 8 or sub-rule (1) of rule 10-A", the words, sign, figure and bracket "sub-rule (3) or sub-rule (4) (ix) of rule 8" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 12,-

(i) in sub-rule (3), for the words, sign, figure and bracket "rules 8 to 10-A", the words and figures "rule 8" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), for the words, sign, figure and bracket "rules 8 to 10-A" the words and figure "rule 8" shall be substituted; and

(iii) in sub-rule (5), for the words, and figures "rule 9" and "rule 10-A" , the words, signs and figure "sub-rule (3) of rule 8" and "sub-rule 4 (ix) of rule 8" shall respectively be substituted.

6. In the said rules, rule 12A shall be omitted.

7. In the said rules, for rule 12B, the following rule shall be substituted, namely:-

"**12 B. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise list of voters finally published.-** Any person whose name is not included in the ward wise list of voters finally published may apply to the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P) for addition/deletion/ correction of his/her name in the ward wise list of voters:

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise list of voters of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad can only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Gram Panchayat, Panchayati Samiti and Zila Parishad.".

8. In the said rules, rule 12 C shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 13,-

(i) sub- rule (1) (c) of rule13 shall be omitted.

(ii) in sub- rule (1) (d) of rule 13, for the word " applications" the word "appeals" shall be substituted and for the words and figure " rule 10" the words, sign, figure "sub rule (4) (viii) of rule 8"; shall be substituted; and

(iii) in sub rule(1) (e) of rule 13, for the words, sign, figure and bracket " rule 12 A or 12 B" the words, sign and figure"rule 12 B" shall be substituted.

10. In the said rules, for the existing forms 1A and 1B, the following forms shall be substituted, namely:-

"Form IA

(rule 8 and 12B)

Application for inclusion of name, correction of any entry or transposing of name in another ward in the list of voters

To

The District Electoral Officer_____________,

Gram Panchayat_____________,Ward No.______,

Block___________,Panchayat Samiti _________,Ward No.______,

Zila Parishad _____________, Ward No.________

OR

Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P)

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.

Sir,

I request that my name be included, corrected or transposed in the list of voters for the Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad __________Ward No.______. My particulars in support of my claim for inclusion, correction or transposing in the electoral rolls are given below:

I. Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if any)

I. That my name has been mentioned at Serial No.___, Part No.____ of _____________ Legislative Assembly Constituency, but has not been included in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad, which may be included in Ward No.____of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad_______________________________.

II. That my name bearing Sr. No. ______ Part No. ______of ______________Legislative Assembly Constituency has wrongly been included in Ward No. ______ of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad ______, which may be included in Ward No.______ of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad.

III. That the entry i.e ______________________ made in the list of voters of Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/Zila Parishad ______________________________ Ward No.______ be corrected as ____on the ground that _______________________________.

IV. That my particulars in the electoral roll of Legislative Assembly Constituency have been mentioned_______________________________, but in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila parishad have been mentioned as __________which may be corrected as___________________.

V. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

Signature or thumb impression of the claimant

Complete Address of the applicant__________

____

____

Mobile No.____________________

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 171 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken (To be filled by the District Electoral Officer or the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P) as the case may be

The application of Shri/Smt/Km.______________________________ for the inclusion of name, correction of his/her entry or transposing of his/her name in another ward in the list of voters in Form 1A has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection

Place: Date:	Signature of District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P)	(Seal of the District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P)

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form 1A from Sh./Smt./Kumari________________________

Address____

______________________________ and entered at sr. no. ________of the entry register.

Date and time fixed for hearing...............
Date ....

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the District Electoral Officer or D.C.-cum-D.E.O. (P)

(Address______________________________)

Receipt for office use

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection

Dated:

Signature and thumb impression of the applicant

<u>Receipt of application and information about the date of hearing</u>
(for applicant)

An application has been received in Form 1-A from Sh./Smt./Kumari______________________ who is resident of village ____________________________________

2.. The hearing in the application will be done by the District Electoral Officer at his office situated at____________________ on ____________at _________.He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/

Date:______________

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the District Electoral Officer or D.C.-cum-D.E.O. (P)

(Address______________________________

Form 1B

(rule 8)

Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in the list of voters

To

The District Electoral Officer_______________,
Gram Panchayat_____________,Ward No.______,
Block____________,Panchayat Samiti _________,Ward No.______,
Zila Parishad ____________, Ward No.________
OR
Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P)

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad __________Ward No.______. Particulars in support of my objection are given below:

I submit that the entry relating to the person named below is required to be deleted for the reasons stated hereunder:

I. Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's / Mother's / Husband's Name	Name	Surname (if any)

II. That the name of Sh./Smt/Kumari__________________________ mentioned at Sr.No._______of Ward No._______in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad, but the area in which the said person is residing does not fall in the limit of the said ward of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad.

III. That the name of Sh./Smt./Kumari __________ is included in ward No._________ instead of ward No.________.

IV. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

(Signature or thumb impression of the applicant/Objector)

Complete Address of the applicant_________________

____

Mobile No.______________________

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 171 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken (To be filled by the District Electoral Officer or the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P) as the case may be

The application of Shri/Smt/Km.________________________ for objecting to the inclusion of name or seeking deletion of name in the list of voters in Form 1B has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection

Place: Date:	Signature of District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P)	(Seal of the Signature of District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P)

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form 1B from Sh./Smt./Kumari____________________

Address____

__________________________ and entered at sr. no. _________of the entry register.

Date and time fixed for hearing..............

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection

Dated: Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing
(for applicant)

An application has been received in Form 1B from Sh./Smt./Kumari____________________ who is resident of village ______________________________

2. The hearing in the application will be done by the District Electoral Officer at his office situated at____________________ on ______________at __________.He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/information.

Date:______________

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the District Electoral Officer or D.C.-cum-D.E.O.
(Address_________________________________)

11. In the said rules, Form 1C and 1D shall be omitted.

12. In the said rules, in Form 1E and 1F for the words, sign, figure and bracket "[see rule 9A (5)]" the words, signs, figures and brackets "[see rule 8 (4) (ii)]" shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

57387—L.R.—H.G.P., Chd.